

दिनांक: 27/11/99

पृष्ठ

No. 2

Annexure-V

श्री साक्ष्य सिंह निदेश
विशेषज्ञताधिकारी
उत्तर प्रदेश शासन।

क्या है

13/11/99
27/11/99

राज्य
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2, मन्दाप, देवर,
प्रोविन्स विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा 171 अनुभाग

तकक: दिनांक: 16 नवम्बर, 1999

विषय:- मुख्य सहाय्यक शिक्षा शाखा, पारान्गशी की सी०बी०एस०की मई दिल्ली से संबन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिवे जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे पट कक्षों का निदेश प्राप्त है कि मुख्य सहाय्यक शिक्षा शाखा, पारान्गशी की सी०बी०एस०की मई दिल्ली से संबन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिवे जाने में इस राज्य सरकार की निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन अनापत्ति मही है:-

- 1.11 विधानसभा की प्रकीर्णता कोटेशन की संस्था-समय पर महीनीकरण काया चायेगा।
- 1.21 विधानसभा की प्रकीर्णता में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होना।
- 1.31 विधानसभा में इस से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विधानसभा में विभिन्न धाराओं के लिये निर्धारित कुल से अधिक कुल नहीं भिवा चायेगा।
- 1.41 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्ण है विधानसभा माध्यमिक शिक्षा परिषद से इच्छा है कि शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विधानसभा की संख्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोशिस एकर दि उच्चपद हल सटीकित हलान्तिमान मही दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष के उच्च केन्द्रीय परिषद की संख्या प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रकृत मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त ही जायेगा।
- 1.51 संस्था के अधिक एवं शिक्षणकार कर्मचारियों की राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुसूच्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान हवा अन्य भत्ते मही दिवे जायेगा।
- 1.61 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त आवासीय उपकरण माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूच्य सेवा विधि का माय उक्त संस्था कराये चायेगा।

171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

181 विवालय का रिकार्ड निर्धारित फ़ॉर्म/इंजिनों में रखा जायेगा।

191 उक्त शाखों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2- प्रतिभूत यह भी होगा कि संस्था द्वारा एक वर्ष के भीतर यह सुनिश्चित किया जाय कि:-

111 प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जाय।

121 निजी भूमि/भवन के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाय।

131 शीघ्रतापूर्वक तथा राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करायी जाय।

141 फ़ीचर गुरु/श्रीडा गुरु मानक के अनुस्यूत किया जाय।

151 शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भुगतान मानक के अनुस्यूत किया जाय।

3- उक्त प्रतिभूतियों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिभूतियों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की वृद्ध या गिरावट होती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुपत्ति प्रमाण-पत्र वापस में लिया जायेगा।

भवदीय

। ताहस सिंह निरंजन ।
विशेषज्ञाधिकारी।

पू०सं०-2787111/15-7-99 तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनायें एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- राष्ट्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, वाराणसी।

3- जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी।

4- निरीक्षक, आगत भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।

5- प्रमुख, मुगल सरण्यम इंग्लिश स्कूल, तिमरा, वाराणसी।

आशा है,

। ताहस सिंह निरंजन ।
विशेषज्ञाधिकारी।